150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/निशुसेनै/2016–19/ 145 दिनांकः 02/07/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषय :– लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्राओं को सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाने बाबत्।

प्रसंग :– शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प. 14(2) शिक्षा–1/2019 दिनांक 11.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर से प्राप्त पत्र के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मे 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण संबंधित योजना एवं कानून की निगरानी के लिये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत् वैधायी संस्था के रूप में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

राजस्थान में कक्षा 6 से 12वीं में पढने वाली छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाये जाते है एवं स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों एवं महिलाओं को आंगनबाडी के सहयोग से नेपकिन उपलब्ध करवाये जाते है। वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण विद्यालय एवं आंगनबाडी केन्द्र बन्द है जिससे इन विद्यालयों में पढने वाली छात्राओं को सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। सैनेटरी नेपकिन की अनुपलब्धता के कारण युवतियों एवं किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खतरा बना रहता है।

उक्त क्रम में लेख है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पढने वाली कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिड–डे–मील के अनुरूप लॉक डाउन के समय सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को निर्देशित करें। यदि सैनेटरी नेपकिन की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सैनेटरी नेपकिन के वितरण की व्यवस्था करावें।

www.rajteachers.com

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
02. संयुक्त सचिव राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान जयपुर
03. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को प्रभावी प्रबोधन बाबत।
04. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक।
05. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

E:\Genral letter.docx

943